न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं.
34/2016

तारीख दायरा
27.06.2016

तारीख फैसला
04.10.2017

पीठासीन अधिकारी– संजीव कुमार शर्मा (आर0ए0एस)

उनवान

1– राजेश शुक्ला पुत्र श्री कृपाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी खन्दार तहसील खन्दार जिला सवाईमाधोपुर राज0

वादीगण

बनाम

1– किशनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति कलाल, निवासी इटावा तहसील पीपल्दा
2. बिशनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति कलाल निवासी इटावा तह0 पीपल्दा
3– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1– वादी अधिवक्ता श्री भागवन्त सिंह आसावत

वाद अनतर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता नं0 नया 994 पुराना 856 पर वाद तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में खा0नं0 852 रकबा 0.82 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

2– यह कि विवादग्रस्त आराजी में वादी 3/4 हिस्सा का सहखातेदार कृषक है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को विवादित भूमि का लगान पिलाई आदि जमा करवाने तथा अपने हिस्से की भूमि पर कृषि विकास कार्यों को करवाने आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 के मध्य विवादित आराजी को लेकर विवाद होता रहता है। प्रतिवादी कई बार वादी के निवेदन पर भी विभाजन करवाने को तैयार नहीं है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में वह अपने निहित 3/4 हिस्से का विभाजन करवाये तथा अपना पृथक खाता पृथक लगान कायम करवाये।

3– यह कि विवादग्रत आराजी में वादी 3/4 हिस्सा का सह खातेदार एवं काश्तेदार कृषक है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 से विवादित आराजी का विभाजन करवाने हेतु विभाग

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

15.05.2016 को निवेदन किया तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 से विवादित आराजी को विभाजित करवाने हेतु कई बार निवेदन करने पर भी विभाजन करवाने को तैयार नही हो रहे है तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त के बल पर कब्जा करने व अतिक्रमण करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हिस्से की भूमि में उनके शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है। तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान आदि प्रकाकर से बिना भाजन करवाये हस्तान्तरित करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

4– यह कि वाद कारण दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी का विभाजन करवाने से इन्कार करने तथा वादी की शांन्ति पूर्ण कब्जा काश्त में अवरो उत्पन्न करने पर उत्पन्न हुआ ।

5– यह कि प्रतिवादी क्रम 3 लेण्ड होल्डर होने से उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उससे कोई सहायता नही चाही गई है, इसलिये 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। यह कि वाद का श्रवणाधिकार व श्रेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है, एवं वाद अवधि मध्य व उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री फरमाई जावे कि:–

(अ) यह कि विवादित आराजी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा को राज0 के ख0न0 852 रकबा 0.82 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा का विभाजन किया जाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम किया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वय न ही अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से विवादित आराजी ख0नं0 852 रकबा 0.82 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा मे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान आदि नही करे।

(स) यह कि अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वादी की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को सूचना जर्ये अखबार देनिक भास्कर करवाई जा चुकी है, परिणामस्वरूप वादी का वाद एक तरफा स्वीकार किया जाकर दिनांक 24.10.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपल्दा को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत प्राथमिक डिक्री की प्रति भिजवायी गई। तहसीलदार पीपल्दा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम इटावा के वर्तमान खसरा नम्बर 852 रकबा 0.82 है0 का मुताबिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है।

खाता सख्या 1183 राजेश शुक्ला पुत्र कृपाशकर हिस्सा 3/4 जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डार , तथा किशनलाल , विशनलाल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/4 जाति कलाल निवासी इटावा।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्रम सं0	नाम खातेदार	खसरा नमबर	श्रकबा	किस्म	लगान
1	राजेश शुक्ला पुत्र कृपाशंकर जाति ब्राहम्मण निवासी खण्डार	852 पूर्वी	0.61 है0	नहरी II	14.64
2	किशनलाल, बिशनलाल पुत्रान गोपालजाति कलाल निवासी इटावा हिस्सा बराबर	852 पश्चिम	0.21	नहरी II	5.04

पत्रावली का गहन अध्यय एवं मनन किया गया । मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना सही प्रतीत होता है अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित तालिका अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खोतेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदनुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड इटावा